

राजस्थान-सरकार
राजस्थ मण्डल राजस्थान, अजमेर।

क्रमांक/ राम/ भू०आ०/एल.आर.सी./प-५१/०२/ १२३६-१२६७
जिला कलेक्टर (समर्त)
राजस्थान।

दिनांक:- १५.२.०३

विषय:- कम्प्यूटराईजेशन ऑफ लैण्ड रेकार्ड के संबंध में।
प्रसंग:- मण्डल का पत्र क्रमांक/ राम/ भू.आ./ एलआरसी/प-५१/
६६३४-६९ दिनांक २२.७.०२

महोदय,

विषयावृत्तर्गत आपका ध्यान मण्डल के प्रासांगिक पत्र की ओर आकर्षित है।
जिसके द्वारा कम्प्यूटराईजेशन ऑफ लैण्ड रेकार्ड योजना के अंतर्गत निम्नानुसार विवेदश/ सुझाव दिये गये हैं:-

१. दिसेंस परसन को दो वर्ष पूर्व स्थानांतरित नहीं किया जावे।
 २. कियाशील तहसीलों से कम्प्यूटराईज़िड नकलें जारी की जावे।
 ३. नई जमांदियाँ कम्प्यूटर से ही तैयार की जावे।
 ४. योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे।
 ५. जिन तहसीलों में कम्प्यूटर स्थापित किये जा चुके हैं, उनकी प्रोपर फंक्शनिंग की जावे एवं तहसील के निरीक्षण पर एक चैक लिस्ट भर कर दी जावे।
- विक्तु संख्या ५ के कम में कुछ जिलों से चैक लिस्ट प्राप्त हुई है व कुछ जिलों से चैक लिस्ट मण्डल को प्राप्त नहीं है। अतः पुनः निवेदन है कि कियाशील तहसीलों का सतत निरीक्षण कर लिया जावे व चैक लिस्ट यथा समय मण्डल को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

भवदीय

उप-निबन्धक(भू०आ०)
राजस्थ मण्डल राजस्थान, अजमेर

दिनांक:- १५.२.०३

क्रमांक/ राम/ सम/ १२६८-१२७५

प्रतिलिपि:-

१. संभागीय आयुक्त, समर्त (राजस्थान)
२. तकनीकी निदेशक एवं एस.आई.ओ., एब०आई०सी०, कमरा नं०३१८, उत्तर
३. पश्चिमी खण्ड, स्थिवालय, जयपुर।
४. ए.सी.पी., राजस्थ मण्डल राज०, अजमेर।

उप-निबन्धक(भू०आ०)
राजस्थ मण्डल राजस्थान, अजमेर